न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या– 130 / 2024

जीसीएमएस संख्या– 2024 / 197

अपीलार्थीगणः–

1. सायर कंवर पुत्री चैन सिंह जी पत्नी इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मल सिंह की ढ़ाणी, ग्राम सांकड़ा तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
2. पुरो कंवर पुत्री चैन सिंह जी पत्नी डूंगर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खिरजा खास, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

रेस्पोडेन्टसः–

1. सांग सिंह पुत्र चैन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर।
2. तेज सिंह पुत्र चैन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 817 जो नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 01.03.1994 को स्वीकार किया गया।

उपस्थितिः–

1. **अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्वार्थ परिहार (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)**
2. **रेस्पोडेन्टस नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।**

निर्णय **दिनांक 27.03.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत उप तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम सेखाला पटवार हल्का सेखाला भू.अ. चामू तहसील शेरगढ़ (वर्तमान तहसील सेखाला) के विरासत के नामान्तरकरण संख्या 817 पर पारित आदेश दिनांक 01.03.1994 को अपास्त करने हेतु दिनांक 04.10.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण के नाम जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस दिनांक 22.10.2024 को जारी किए गए। पुनः दिनांक 19.05.2025 को भेजे गए जो दिनांक 17.05.2025 को प्रत्यर्थीगण पर ट्रेक रिपोर्ट अनुसार डिलीवर हुए है फिर भी दिनांक 17.12.2025 को एक बार पुनः जरिये पोस्ट नोटिस भेजे गए जो दिनांक 11.02.2026 को ट्रेक रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी 1 व 2 पर डिलीवर हुए है परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार ग्राम सेखाला का खसरा नम्बर 726, 731, 686, 687, 728, 729, 724, 725 व 730 कुल रकबा 204 बीघा में आधा हिस्सा के सहखातेदार अपीलांटस व प्रत्यर्थीगण के पिता चैन सिंह पुत्र मोड़ सिंह थे। चैन सिंह का सन् 1994 में देहान्त हो गया जिसके फलस्वरूप विरासत का नामान्तरकरण केवल जांयदा पुत्र प्रत्यर्थीगण सांग सिंह व तेज सिंह के नाम ही दर्ज किया गया जबकि दो पुत्रियां अपीलांटस– सायर कंवर व पुरो कंवर भी प्रथम श्रेणी की वारिसान है। चैन सिंह की पत्नी का पूर्व में ही देहान्त हो चुका था। उक्त चारो वारिसान चैन सिंह की आराजी पर काबिज काश्त है। दिनांक 12.09.2024 को सांग सिंह ने कुछ भूमि अज्ञात व्यक्ति को बेचान कर दी जिसकी भनक अपीलांटस को होने पर सांग सिंह ने बताया कि रिकार्ड में उसका ही नाम है। पटवारी को पूछने पर दिनांक 24.09.2024 को पता चला कि चैन सिंह के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण में सिर्फ सांग सिंह व तेज सिंह का ही नाम दर्ज किया गया है। पटवारी से दिनांक 24.09.2024 को नकल प्राप्त करने के बाद यह अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। नामान्तरकरण पर आदेश पारित करने से पूर्व चैन सिंह के वारिसान की सही जांच नहीं की हैं। एक तरफा आदेश पारित किया है। नामान्तरकरण को निस्तारण करने के अधिकार ग्राम पंचायत के पास थे। लैण्ड रिकार्ड रूल्स की अवहेलना की है।

4. अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस अपील पर सुनी गई।

6. अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस– चैन सिंह के प्रथम श्रेणी की उतराधिकारिणी है। फिर भी उनका नाम दर्ज नहीं किया है। चैन सिंह ने अपने जीवनकाल में किसी को भी वसीयत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नहीं लिखी है। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार सेखाला को मृतक के सभी कानूनी वारिसान की जांच की जाकर उनका नाम रिकार्ड में दर्ज करे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा नामान्तरकरण संख्या 817 का अवलोकन किया। बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया।

8. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद एक्ट में अंकित कारण पर्याप्त प्रतीत होते है। अपीलाधीन आदेश एक तरफा पारित किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है।

9. अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है क्यों कि अपीलांट– मृतक चैन सिंह की जायन्दा पुत्रियां बता रही है तथा चैन सिंह की सम्पति में उनका हक प्राप्त करने की वे हकदार है।

10. ग्राम सेखाला का नामान्तरकरण संख्या 817, सहखातेदार चैन सिंह पुत्र मोड़ सिंह के फौत होने पर पटवारी ने दिनांक 23.02.1994 को उनके जायंदा पुत्रो– सांग सिंह व तेज सिंह के नाम खसरा नम्बर 726, 731, 686, 687, 728, 729, 724, 725 व 730 कुल रकबा 204–07 बीघा में आधा हिस्सा भूमि पर दर्ज किया है जिसे उप तहसीलदार बालेसर ने दिनांक 01.03.1994 को स्वीकार किया है। कॉलम संख्या 14 में सिर्फ जायन्दा पुत्रों के नाम ही दर्ज करने का अंकन है। अन्य वारिसान है या नहीं, इस बाबत कोई जांच का तथ्य अंकित नहीं है।

अपीलांटस स्वयं को चैन सिंह की जायन्दा पुत्रियां बता रही है। प्रत्यर्थीगण ने उपस्थित होकर अपीलांटस के कथनों का खण्डन भी नहीं किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अनुसूची में पुत्रियां एवं पुत्र तथा पत्नी को प्रथम श्रेणी के वारिसान माना गया है। संशोधन अधिनियम 2005 से पुत्रियों को भी सहदायिकी सम्पति में पुत्रों के ही समान अधिकार प्रदान किए गए है।

11. उक्त विधिक स्थिति के बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलांटस का प्रत्यर्थीगण 1 व 2 के साथ नाम दर्ज नहीं करना गैर कानूनी है। मात्र प्रशासनिक आदेश से अपीलांटस को पिता की सम्पति में प्राप्त अधिकारों एवं हकों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण में स्वर्गीय चैन सिंह के सभी वारिसान की गहन जांच किया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण को जांच करने हेतु एवं निस्तारण करने हेतु वर्तमान

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

क्षेत्राधिकारिता वाले तहसीलदार सेखाला को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

आदेश

12 फलस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सेखाला के नामान्तरकरण संख्या 817 पर उप तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित आदेश 01.03.1994 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेखाला को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण के मृतक सहखातेदार चैन सिंह पुत्र मोड़ सिंह के सभी कानूनी वारिसान की गहनता से जांच करे तथा जांच उपरान्त चैन सिंह के सभी उत्तराधिकारियों के नाम उक्त नामान्तरकरण में अंकित भूमि में दर्ज करें। उक्त कार्यवाही नियमों में निर्धारित अवधि में सम्पन्न की जावे।

13 निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार सेखाला को लौटाया जावे।

14 पत्रावली में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों को एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता हैं।

15 पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर